वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001

संख्या: 6-9(131)/2005-E-III

दिनाँक:- 21/01/2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 तथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत चल तथा अचल सम्पत्तियाँ के वार्षिक विवरण देने के सम्बंध मैं

संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनाँक 19.11.2014 उपरोक्त विषय मैं पौलिसी अनुभाग के दिनाँक 22/01/2015 के कार्यालय ज्ञापन सँख्या 5-1(17)/2008-PD को ध्यान मैं रखते हुये सक्षम प्राधिकारी ने इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन दिनाँक 19.11.2014 के अनुक्रम मैं निम्नलिखित निदेश जारी करने का निर्णय लिया है:

1. परिषद मुख्यालय के सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने-अपने वर्ष 2014 के वार्षिक अचल संपत्ति विवरण यथासमय प्रस्तुत करने आवश्यक है। यह संपत्ति विवरण लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत देय संपत्ति विवरणों के अतिरिक्त देय होगा।
2. सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के तहत 31/12/2014 तक के वार्षिक अचल संपत्ति विवरण 31/01/2015 से पहले दायर किया जाना आवश्यक है।
3. लोकपाल कानून के तहत 01.08.2014 तक के सम्पत्ति के विवरण सभी अधिकारियाँ / कर्मचारियाँ (समूह क, ख, तथा ग) के द्वारा 30/04/2015 से पहले दायर किया जाना चाहिए।
4. लोकपाल अधिनियम के तहत सभी अधिकरियाँ/कर्मचारियाँ के द्वारा अगले वर्ष के लिए दिनाँक 31.03.2015 तक के सम्पत्ति के वार्षिक विवरण 31/07/2015 से पहले भरे जाने चाहिए।

संलग्नक:- उपरोक्त 1 से 4 के लिये निर्धारित प्रपत्र

(वाई.के. शर्मा)
वरिष्ठ उपसचिव (के.का.)

प्रतिलिपि:-

1. डॉ. जी. राधाकृष्णन, प्रोजेक्ट लीडर, ईआरपी
2. सुश्री डॉली चौधरी, नोडल ऑफिसर, ईआरपी

(1 व 2) - इस अनुरोध के साथ कि कृपया मुख्यालय में कार्यान्वयन हेतु ईआरपी में आवश्यक परिवर्तन करें।

3. सीएसआईआर मुख्यालय / सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स / आरएबी / एचआरडीसी / आईपीयू / एमबीएसए / विज्ञान केन्द्र / यूआरडीआईपी के सभी प्रभागों / अनुभागों के प्रधानों को - इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीन कार्यरत स्टाफ-सदस्यों में इसे परिचालित करें।
4. उपाध्यक्ष, सीएसआईआर का कार्यालय
5. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
6. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
7. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
8. मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), सीएसआईआर के निजी सचिव
9. वरिष्ठ उपसचिव (एचआर) की निजी सहायक
10. वरिष्ठ उपसचिव (के.का.) के निजी सचिव
11. विधि सलाहकार के निजी सचिव
12. सीएसआईआर मुख्यालय / सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स /आरएबी /एचआरडीसी / आईपीयू / विज्ञान केन्द्र / एमबीएसए के सभी सूचना पट्ट
13. प्रधान, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि वे संलग्न परिपत्र सहित इस कार्यालय ज्ञापन को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करे
14. कार्यालय प्रति

प्रपत्र

FORM

दिनांक ______ को वर्ष ______ के लिए अचल संपत्ति का विवरण

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR ______ AS ON ______

अधिकारी का नाम :
Name of the officer: ______

वर्तमान वेतन
Present Pay ______

सेवा का नाम जिससे अधिकारी संबंधित है ______

वर्तमान पद :
Present Post held : ______

जिला, सब डिवीजन, ताल्लुक और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति है Name of District, Sub Division, Taluk and Village in which the property is situated.	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि का नाम व ब्यौरा Name and details of property, Housing lands & other, buildings	*वर्तमान मूल्य Present Value	यदि संपत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का संबंध क्या है ? If not in own name, state in whose name held & his/her relationship to Govt. Servant.	सम्पत्ति कैसे अर्जित की गई ? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई**, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य स्रोत से ली गई । तारीख जिसको अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई । How acquired ? Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	सम्पत्ति से वार्षिक आय Annual Income from the property.	अभ्युक्तियाँ Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

जो खंड लागू नहीं हैं, उसे काट दिया जाए । Inapplicable clause be stuck out.

*जहां मूल्य का सटीक आंकलन संभव नहीं है वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मूल्य उल्लिखित किया जाए ।

In case where it is not possible to assess the value accurately the approximately value in relation to present conditions may be indicated.

** अल्पकालीक पट्टे पर ली गई भी शामिल है। Includes short term lease also.

टिप्पणी : घोषणा पत्र भरना तथा इसे केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली,1964 के नियम 18(1) के अधीन सेवा में प्रथम नियुक्ति पर श्रेणी-I तथा श्रेणी- II (वर्ग(अ) एवं वर्ग (ब))के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर भरा जाए जिसमें उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर अर्जित, उत्तराधिकार में प्राप्त, पट्टे पर ली गई अथवा बंधक संपूर्ण अचल संपत्ति का विवरण दिया गया हो ।

Note : The declaration form is required to be filled and submitted by every member of Class-I and class-II service under Rule 18(1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

हस्ताक्षर/Signature

दिनांक/Date

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में,—

(क) प्ररूप सं. 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं. 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..................को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण

(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें)

क्रम सं0	विवरण	टिप्पणियां, यदि कोई हों
(i)*	नकदी और बैंक में अतिशेष :	
(ii)**	बीमा (संदत्त प्रीमियम) :	
	नियत/आवर्ती जमा :	
	शेयर/बॉड :	
	पारस्परिक निधि (निधियां) :	
	पेंशन स्कीम/भविष्य निधि	
	अन्य विनिधान, यदि कोई हों :	
(iii)	किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम (एडवांस) और व्यक्तियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति, दो मास का मूल वेतन या एक लाख रुपए से अधिक) :	
(iv)	मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदत्त रकम के ब्यौरे) :	
(v)	आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम ; चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम)]	
	सोना :	
	चांदी :	
	बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य रत्न :	
	मिश्रित मदें : (अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें)***	
(vi)	कोई अन्य आस्ति : [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दें] (क) फर्नीचर (ख) फिक्सचर (ग) प्राचीन वस्तुएं (घ) रंगचित्र (पेंटिंग) (ङ) इलैक्ट्रानिक उपस्कर (च) अन्य (किसी प्रवर्ग की बाबत ब्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग (अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रानिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या 1.00 लाख रुपए से अधिक हो)	

हस्ताक्षर.......................

तारीख.......................

*विदेशी बैंक (बैंकों) में जमाओं के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे ।

**2 लाख रुपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे । 2 लाख रुपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है ।

***पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त मद अर्जित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो ।";

6

(ख) प्ररूप सं. IV के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.......................को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

क्रम सं0	ऋणी (स्वंय/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	लेनदार का नाम और पता	ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

तारीख..................... हस्ताक्षर...

टिप्पण 1 : उधारों की व्यष्टिक मदों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये है, सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण 2 : विवरण में बैंकों, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसों) को सम्मिलित करना होगा।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (बी)]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 501(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका भारत के राजपत्र असाधारण, तारीख 8 सितंबर, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 638(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2014.

G.S.R. 918(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59, section 44 and section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Second Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, in the proviso to sub-rule (2), for the words "on or before the 31st day of December, 2014", the words "on or before the 30th day of April, 2015" shall be substituted.

3. In the principal rules, in Appendix II, —

(a) for Form No. II, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM No. II

Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20...

(Use separate sheets for self, spouse and each dependent child.)

Name of public servant/spouse/dependent child: ____________________

S.No	Description	Remarks, if any
(i) *	Cash and bank balance:	
(ii)**	Insurance (premia paid) :	
	Fixed /Recurring Deposit(s) :	
	Shares/Bonds :	
	Mutual Fund(s) :	
	Pension Scheme/Provident Fund	
	Other investments, if any :	
(iii)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, trust, etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding two months basic pay or Rupees one lakh, as the case may be):	
(iv)	Motor Vehicles. (Details of Make, registration number, year of purchase and amount paid):	
(v)	Jewellery [Give details of approximate weight (plus or minus 10 gms. in respect of gold and precious stones; plus or minus 100 gms. in respect of silver).]	
	Gold:	
	Silver:	
	Precious metals and precious stones:	
	Composite items: (indicate approximate value)***	
(vi)	Any other assets [Give details of movable assets not covered in (i) to (v) above] (a) Furniture (b) Fixtures (c) Antiques (d) Paintings (e) Electronic equipments (f) Others [Indicate the details of an asset, only if the total current value of any particular asset in any particular category (e.g. furniture, fixtures, electronic equipments, etc.) exceeds two months' basic pay or Rs. 1.00 lakh, as the case may be.]	

Signature.................................

Date ....

* Details of deposits in the foreign Bank(s) to be given separately.

** Investments above Rs. 2 lakhs to be reported individually. Investments below Rs. 2 lakhs may be reported together.

*** Value indicated in the first return need not be revised in subsequent returns as long as no new composite item had been acquired or no existing items had been disposed of, during the relevant year.";

98

(a) for Form No. IV, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM No. IV

Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20.....

Sl. No.	Debtor (Self/ Spouse or dependent children)	Name and address of Creditor	Nature of debt/liability and amount	Remarks
1	2	3	4	5

Signature..............................

Date ....

Note 1: Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

Note 2. The statement should include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) taken from banks, companies, financial institutions, Central/State Government and from individuals.".

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 501(E), dated the 14th July, 2014 and amended vide notification No. G.S.R. 638(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 8th September, 2014.

S118 GI/14-2.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.